जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर

प्रधान कार्यालय : 847, सहकारी सदन, राईट टाउन, जबलपुर-482002, फोन नं. 0761-2406618,2410393 फैक्स नं. 0761 - 2407392
ई-मेल: dccbjbp@yahoo.com, http://dccbjbp.blogspot.in सी.बी.एस कक्ष : 0761-2419922 ई-मेल: cbsjabalpur.mp@gmail.com

क्रमांक/108/फील्ड/2016/ 03 जबलपुर, दिनांक : 01-4-2016

प्रति,

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
   सहकारी संस्थाएं, मप्र भोपाल
2. कलेक्टर,
   जिला जबलपुर / कटनी
3. प्रबंध संचालक,
   मप्र राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
   भोपाल
4. जिला विकास प्रबंधक
   नाबार्ड जबलपुर /कटनी
5. संयुक्त /उप/सहायक आयुक्त
   सहकारिता जबलपुर / कटनी
6. अग्रणी जिला प्रबंधक
   सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
   लीड बैंक जबलपुर /कटनी
7. उप संचालक,
   कृषि जबलपुर / कटनी
8. प्रबंधक,
   एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
   भोपाल

विषय :- **तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 30.03.2016 में लिए गए निर्णयानुसार संशोधित ऋणमान बाबद ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर की जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 30.03.2016 को कलेक्ट्रेट कार्यालय जबलपुर में आयोजित हुई जिसमें वर्ष 2016-17 हेतु ऋणमान सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए । खरीफ एवं रबी हेतु तकनीकी समूह व्दारा अनुमोदित ऋणमान संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
जबलपुर

दिनांक 30.03.2016 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर व्दारा जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक का अयोजन किया गया, जिसमें आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक व्दारा जारी दिशा–निर्देशों के परिपालन में कृषि, सहकारिता, लीड बैंक तथा जिले के प्रगतिशील कृषकों की उपस्थिति में प्रति हेक्टयर लागत व्यय व उत्पादन क्षमता के आधार पर वर्ष 2016–17 के लिए निम्नानुसार संशोधित ऋणनीति का निर्धारण किया जाता है । पंजीयक के पत्र क्रमांक साख/रिर्पोट/07/2004/3259 भोपाल दिनांक 14/15.07.2004 अनुसार तकनीकी समूह निर्धारित विषयों पर निर्णय हेतु मार्गदर्शी बिन्दु प्रदाय किए हैं तदानुसार निम्नानुसार बिन्दुवार प्रस्तावित है :–

विषय कमांक 1 :–

जिले में उन्नत रीति से उपजाई जाने वाली मुख्य फसलों को प्रति हेक्टयर औसत मूल्य तथा ऋण भुगतान क्षमता का आंकलन करना एवं मौसमी ऋण राशि का निर्धारण करना ।

1. **अल्पकालीन ऋण** :– फसल प्रणाली के अंर्तगत कृषक सदस्यों के लिए कृषि साख को दो भागों में विभाजित किया गया है :–

   (अ) नगद :– नगद साख सीमा में कृषकों को खेती में लगने वाले कार्यो को सम्मिलित किया गया है जैसे मजदूरी, खरपतवार, निंदाई,गुड़ाई आदि कार्यों के लिए कृषकों को नगद साख की आवश्यकता होती है ।

   (ब) वस्तु :– वस्तु साख सीमा में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाईयों, कल्चर, कृषि यंत्र आदि शामिल है ।

ऋण स्वीकृति का आधार प्रति हेक्टेयर लागत एवं आय :–

प्रत्येक कृषक सदस्य की आवश्यकता व निर्धारण, उसकी कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में उत्पादन की जा रही फसल प्रति हेक्टेयर के मान से उसके कुल कृषि उत्पादन लागत को माना गया है । इसमें अल्पावधि ऋणों की भुगतान क्षमता उसके कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत, उसके घरू कार्य के लिए छोड़कर शेष का 70 प्रतिशत अल्पकालीन ऋण के लिए एवं 30 प्रतिशत मध्यावधि ऋण के लिए ऋण भुगतान क्षमता मानी जाने के नाबार्ड के निर्देश हैं, इस अनुसार गत वर्षों में ऋणमान बनाए जाते थे । परिशिष्ट–अ में काश्त व्यय मापदण्ड प्रति हेक्टेयर के आधार पर परिशिष्ट ब, स एवं द में अल्पकालीन ऋण वितरण की दरें प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित की जाती हैं ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों व्दारा ऋणमान निर्धारण का आधार चाहा जाने पर अवगत कराया कि कृषि विभाग व्दारा उनके पत्र कमांक 624 दिनांक 25.02.2016 व्दारा प्रति हेक्टेयर काश्त व्यय की जानकारी प्रदान की गई है तदनुसार ही ऋणमान का निर्धारण पंजीयक व्दारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत किया गया है ।

खरीफ फसल अंर्तगत ऋणमान की समीक्षा करने पर कमेटी के अन्य सदस्यों व्दारा परम्परागत दरों की अपेक्षा फसलों की औसत उत्पादन के आधार पर ऋणमान निर्धारित किए जाने हेतु सहमति दी गई ।

सदस्यों के सुझाव पर वर्ष 2016–17 में कृषकों को फसल हेतु ऋण की कमी न हो तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ कृषको को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से पिछले वर्ष के ऋणमान में वृद्धि किए जाने बाबद सहमती बनी तथा परम्परागत आधार उत्पादन की कुल कीमत (प्रति हेक्टेयर) का अदायगी क्षमता 50 प्रतिशत में 70 प्रतिशत अल्पकालीन एवं 30 प्रतिशत मध्कालीन ऋण के स्थान पर मध्यकालीन ऋण का 30 प्रतिशत भी अल्पकालीन ऋण हेतु दिए जाने की सहमति प्रदान की गई । फसल ऋणमान परिशिष्ट अ,ब,स,द संलग्न हैं ।

विषय कमांक 2 :–

सदस्य की नगद एवं वस्तु ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण ।

तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 22.04.2015 में वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत नगद *वस्तु ऋण का अनुपात पूर्व में 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया था ।* "मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना" जो रबी 2015–16 से लागू की जा रही है के अंर्तगत सहकारी समितियों व्दारा कृषकों को वितरित अल्पावधि फसल ऋण की अदायगी निर्धारित ड्यू डेट तक किए जाने पर ऋण में शामिल खाद एवं बीज के लिए दिए गए वस्तु ऋण की राशि पर 10 प्रतिशत का अनुदान राज्य शासन व्दारा किया जावेगा । अतः शासन की योजनानुसार कृषकों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कृषकों उनकी मांग अनुसार खाद–बीज की आपूर्ति सुनिश्चित हो इसके लिए 50 प्रतिशत नगद एवं 50 प्रतिशत वस्तु किया जाना उचित होगा । स्वीकृत ऋण नीति के आधार पर कृषक की भूमि जोत के अनुसार अधिकतम ऋणसीमा रू. 3.00 लाख निर्धारित की गई है ।

विषय कमांक 3 :–

ऋण अदायगी क्षमता ।

कृषक की ऋण अदायगी की क्षमता का आंकलन वास्तविकता के आधार पर किया जावे परंतु यह देखा गया है कि कृषक की ऋण भुगतान क्षमता का आंकलन अधिक उत्पादन एवं अधिक मूल्य के आधार पर किया जाता है जो वास्तविक भुगतान क्षमता से अधिक होता है उक्त दोनों ही परिस्थितियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जहॉ कृषि उत्पादन प्रभावित होता है वहीं दिए गए ऋणों की वसूली भी प्रभावित होती है । सही स्थिति वह है जिसमें किसान को पात्रतानुसार वस्तु रूप में प्रति हेक्टेयर अनुशंसा अनुसार पूर्ण साख प्राप्त हो एवं शेष नगद रूप

में दिया जावे । तभी शासन की अपेक्षा के अनुरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ सके । अतः उप संचालक कृषि जबलपुर से प्राप्त उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर औसत उपज एवं विक्रय हेतु समर्थन मूल्य के आधार पर गणना कर प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मूल्य के 50 प्रतिशत तक अदायगी क्षमता का ऑकलन सदस्यों के सुझाव के आधार पर किया गया ।

विषय कमांक 4 :–

ऋण वितरण का समय ।

फसल ऋण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कृषि कियाओं के अनुरूप ऋण वितरण में सामन्जस्य रखना है ताकि कृषकों को आवश्यकतानुसार समय पर ऋण प्राप्त हो सके । अतः जिले में पैदा होने वाली मुख्य फसलों के समय को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी समूह ऋण वितरण की तिथियां निर्धारित करेगा इसमें यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि खरीफ एवं रबी फसलों के लिए निर्धारित समय परस्पर व्यापक (Over lapping) न हो अर्थात जो समय खरीफ फसल के लिए ऋण वितरण का रखा जाए उसी अवधि में रबी फसल के लिए ऋण वितरण न हो । वस्तु ऋण सदस्य अपनी सुविधानुसार खरीफ/रबी के लिए स्वीकृत सीमा में एक साथ लेना चाह तो उसे दिया जावे । नगद एवं वस्तु ऋण के भुगतान की तिथियां इस प्रकार निर्धारित की जावेंगी कि नगद एवं वस्तु ऋण के प्रथम आहरण से वह 12 माह से अधिक न होवे। वस्तु ऋण सदस्य की सुविधानुसार दिया जावेगा तथा खरीफ एवं रबी हेतु ऋण वस्तु एक साथ भी दिया जा सकेगा । पंजीयक के परिपत्र कमांक साख/योजना/2014/1570 दिनांक 15 जुलाई 2014 अनुसार कृषकों को दोनों फसलों का एकमुश्त ऋण देने से कृषकों को फसलबीमा आदि का नुकसान उठाना पड़ता है अतः खरीफ एवं रबी फसल हेतु पृथक–पृथक ऋण निर्धारित अवधि में दिया जावे न कि इकटठा दिया जावे ।

प्रचलित समयमान अनुसार ऋण वितरण अवधि/डयू डेट निम्नानुसार है :–

ऋण वितरण अवधि	डयू डेट
खरीफ फसल हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर	28 मार्च
रबी फसल हेतु 01 अक्टूबर से 31 मार्च	15 जून

निर्धारित ड्यू डेट अधिकतम है । यदि कृषक व्दारा निर्धारित ड्यू डेट पर कर्ज अदा नहीं करता है, तो उसे शून्य प्रतिशत का लाभ प्राप्त न होकर, सामान्य दर से ब्याज लागू होगा । अतः कृषक को खरीफ–रबी फसल तैयार करके संस्था पर समर्थन मूल्य पर विक्रय करते समय फसल ऋण अदा करने की समझाइश दी जावे । **नवीन फसल बीमा योजना–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइन अनुसार ऋणी एवं अऋणी कृषको से**

प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि खरीफ मौसम हेतु (31 जुलाई) एवं रबी मौसम हेतु (31 दिसम्बर) निर्धारित है । जिसका अनुमोदन किया जाता है ।

विषय कमांक 5 :–

नवीन सदस्यों के के.सी.सी. बनाना ।

राज्यशासन/भारत शासन /नाबार्ड व्दारा कृषकों को कृषि ऋण सुगमता से उपलब्ध हो इस हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रभावशील की गई है एवं यह अपेक्षा की गई कि प्रत्येक कृषक को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही ऋण वितरण किया जावे । अतएव यह अनिवार्य है कि प्रत्येक किसान को जो समिति का सदस्य है उसे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जावे एवं नवीन कृषकों को सदस्य बनाया जावे तथा उसकी साखसीमा निर्धारित कर पासबुक एवं चैकबुक उपलब्ध कराई जावे ।

शासन की योजना अनुसार जिले के समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजनान्तर्गत समिति के कार्यक्षेत्र के कृषक जिनके क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको सदस्य बनाए जाकर क्रेडिट कार्ड जारी किए जावे एवं 50:50 के अनुपात मे नगद एवं वस्तु ऋण उपलब्ध करावें ।

30/3

महाप्रबंधक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
जबलपुर

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला जबलपुर

काश्त व्यय मापदण्ड प्रति हेक्टर वर्ष 2016–2017

(कृषि विभाग एवं तकनीकी समूह बैठक दि.30.03.2016 में निर्णय अनुसार)

जिला – जबलपुर **परिशिष्ट (अ)**

क्रं.	फसल का नाम	खेत की तैयारी बोआई आदि पर व्यय (रू. में)	बीज पर व्यय (रू.में)	खाद पर व्यय (रू.में)	बीजोपचार सिंचाई, निदाई, कीट–व्याधि नियंत्रण आदि पर व्यय (रू. में)	कुल मजदूरी (रू.में)	अन्य मजदुरी (रू.में	योग व्यय (रू.में)	अनुमानित औसत उत्पादन	दर (रू.में)	कुल आय	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गेहूँ सिंचित	4000	3500	5000	7000	10000	2000	31500	50	1525	76250	44750
2	गेहूँ असिंचित	4000	3500	4000	3500	6000	2000	23000	38	1525	57950	34950
3	धान सिंचित	4000	3200	4000	4000	16000	2000	33200	50	1450	72500	39300
4	धान असिंचित	3000	3200	3000	4000	12000	2000	27200	36	1450	52200	25000
5	चना सिंचित	2500	5000	3500	4000	8000	2500	25500	20	3500	70000	44500
6	चना असिंचित	2500	5000	2500	3000	5000	2000	20000	15	3500	52500	32500
7	गन्ना	6000	17000	12000	10000	18000	5000	68000	725	230	166750	98750
8	राई–सरसों	4000	1000	3500	5000	4500	2000	20000	20	3100	62000	42000
9	अलसी	3000	1000	3000	4000	3000	1500	15500	14	1300	18200	2700
10	अरहर	3000	1500	3500	3500	7500	2500	21500	20	4625	92500	71000
11	उड़द	3000	1500	3500	3200	6500	2000	19700	14	4625	64750	45050
12	मूंग	3000	1500	3500	3200	6500	2000	19700	14	4625	64750	45050
13	सोयाबीन	3000	4500	4000	3000	6000	2000	22500	23	2600	59800	37300
14	मसूर	2500	3500	4000	3000	5500	1500	20000	18	3325	59850	39850
15	मटर फल्ली हेतु	2500	8000	4000	5000	8000	2500	30000	80	1600	128000	98000
16	मक्का	3000	3600	4000	4000	6000	3000	23600	45	1310	58950	35350

परम्परागत आधार उत्पादन की कुल कीमत (प्रति हेक्टेयर) का 50 प्रतिशत अदायगी क्षमता का 70 प्रतिशत अल्पकालीन फसल एवं 30 प्रतिशत मध्यकालीन फसल को स्वीकृत किया जाता है किन्तु जिले की फसलों को ऋण को कमेटी के सदस्यों की अनुशंसा अनुसार मध्यकालीन फसल ऋण के हिस्से को अल्पकालीन फसल ऋण में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। ऋणमान निर्धारण हेतु बैक कार्यक्षेत्र अंतर्गत फसलों हेतु उक्त नीति बनाई गई है ।

मुख्य कार्य.अधिकारी	लीड बैंक प्रबंधक	उप संचालक(कृषि)	जिला प्रबंधक(नाबार्ड)	उपायुक्त	कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जि.स.के.बैंक.जबलपुर	लीड बैंक जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	सहकारिता जबलपुर	जबलपुर

तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 30.03.2016 में कुल उत्पादन क्षमता के आधार पर अल्पावधि ऋण प्रति हेक्टेयर का निर्धारण वर्ष 2016–17 तक के लियें स्वीकृत ऋणमान (खरीफ फसलें)

(राशि रू. मात्रा क्विंटल में)

परिशिष्ट–ब

क्रं.	फसल विवरण	वर्ष 2015–16 में प्रति हेक्टेयर के मान से स्वीकृत ऋणमान	उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर	उत्पादन प्रति हेक्टेयर	उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल	उत्पादन की कुल कीमत प्रति हेक्टेयर	उत्पादन कीमत की 50 प्रतिशत राशि	अदायगी क्षमता उत्पादन के 50 प्रतिशत	वर्ष 2016–17 हेतु कमेटी द्वारा स्वीकृत ऋणमान प्र.हे.	वर्ष 2016–17 से प्रति हेक्टेयर के मान से स्वीकृत ऋण मान		
										नगद 50 प्रतिशत	वस्तु 50 प्रतिशत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	धान सिंचित	**25500**	33200	50	1450	72500	36250	36250	**36000**	18000	18000	36000
2	धान असिंचित	**20000**	27100	36	1450	52200	26100	26100	**25000**	12500	12500	25000
3	मक्का	**11000**	23600	45	1310	58950	29475	29475	**20000**	10000	10000	20000
4	सोयाबीन	**25500**	22500	23	2600	59800	29900	29900	**30000**	15000	15000	30000
5	उड़द	**16000**	17900	14	4625	64750	32375	32375	**25000**	12500	12500	25000
6	मूंग	**16000**	19700	14	4625	64750	32375	32375	**25000**	12500	12500	25000
7	तुवर (अरहर)	**25500**	21500	20	4625	92500	46250	46250	**25500**	12750	12750	25500
8	ज्वार	**11000**	4750	20	1500	30000	15000	15000	**11000**	5500	5500	11000

परम्परागत आधार उत्पादन की कुल कीमत (प्रति हेक्टेयर) का 50 प्रतिशत अदायगी क्षमता का 70 प्रतिशत अल्पकालीन फसल एवं 30 प्रतिशत मध्यकालीन फसल को स्वीकृत किया जाता है किन्तु जिले की फसलों को ऋण को कमेटी के सदस्यों की अनुशंसा अनुसार मध्यकालीन फसल ऋण के हिस्से को अल्पकालीन फसल ऋण में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। ऋणमान निर्धारण हेतु बैक कार्यक्षेत्र अंर्तगत फसलों हेतु उक्त नीति बनाई गई है ।

मुख्य कार्य.अधिकारी	लीड बैंक प्रबंधक	उप संचालक(कृषि)	जिला प्रबंधक(नाबार्ड)	उपायुक्त	कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जि.स.के.बैंक.जबलपुर	लीड बैंक जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	सहकारिता जबलपुर	जबलपुर

तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 30.03.2016 में कुल उत्पादन क्षमता के आधार पर अल्पावधि ऋण प्रति हेक्टेयर का निर्धारण वर्ष 2016–17 तक के लियें स्वीकृत ऋणमान (रबी फसलें)

(राशि रू. मात्रा क्विंटल में)

परिशिष्ट (स)

क्रं.	फसल विवरण	वर्ष 2015–16 में प्रति हेक्टेयर के मान से स्वीकृत ऋणमान	उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर	उत्पादन प्रति हेक्टेयर	उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल	उत्पादन की कुल कीमत प्रति हेक्टेयर	उत्पादन कीमत की 50 प्रतिशत राशि	अदायगी क्षमता उत्पादन के 50 प्रतिशत	वर्ष 2016–17 हेतु कमेटी द्वारा स्वीकृत ऋणमान प्र.हे.	वर्ष 2016–17 से प्रति हेक्टेयर के मान से स्वीकृत ऋण मान		
										नगद 50 प्रतिशत	वस्तु 50 प्रतिशत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	गेहूँ सिंचित	**25500**	31500	50	1525	76250	38125	38125	**36000**	18000	18000	36000
2	गेहूँ असिंचित	**20000**	23000	38	1525	57950	28975	28975	**25000**	12500	12500	25000
3	चना सिंचित	**25500**	25500	20	3500	70000	35000	35000	**34000**	17000	17000	34000
4	चना असिंचित	**20000**	20000	15	3500	52500	26250	26250	**25000**	12500	12500	25000
5	मसूर	**21700**	20000	18	3325	59850	29925	29925	**21700**	10850	10850	21700
6	अलसी	**9100**	15500	14	1300	18200	9100	9100	**20000**	10000	10000	20000
7	राई / सरसों	**9100**	20000	20	3100	62000	31000	31000	**20000**	10000	10000	20000
8	मटर(फल्ली हेतु)	**32000**	30000	80	1600	128000	64000	64000	**35000**	17500	17500	35000
9	गन्ना	**55125**	68000	725	230	166750	83375	83375	**55500**	27750	27750	55500

परम्परागत आधार उत्पादन की कुल कीमत (प्रति हेक्टेयर) का 50 प्रतिशत अदायगी क्षमता का 70 प्रतिशत अल्पकालीन फसल एवं 30 प्रतिशत मध्यकालीन फसल को स्वीकृत किया जाता है किन्तु जिले की फसलों को ऋण को कमेटी के सदस्यों की अनुशंसा अनुसार मध्यकालीन फसल ऋण के हिस्से को अल्पकालीन फसल ऋण में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। ऋणमान निर्धारण हेतु बैक कार्यक्षेत्र अंतर्गत फसलों हेतु उक्त नीति बनाई गई है ।

मुख्य कार्य.अधिकारी	लीड बैंक प्रबंधक	उप सचालक(कृषि)	जिला प्रबंधक(नाबार्ड)	उपायुक्त	कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जि.स.स.बैंक.जबलपुर	लीड बैंक जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	सहकारिता जबलपुर	जबलपुर

D.C.C.B. JABALPUR

तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 30.03.2016 में लिये निर्णयानुसार वर्ष 2016–17 के लिये निम्नानुसार ऋण मान लागू हैं।

क्र.	फसल का नाम	खरीफ फसल			फसल का नाम	रबी फसल		
		नगद 50 प्रतिशत	वस्तु 50 प्रतिशत	योग		नगद 50 प्रतिशत	वस्तु 50 प्रतिशत	योग
1	धान सिंचित	18000	18000	36000	गेहूँ सिंचित	18000	18000	36000
2	धान असिंचित	12500	12500	25000	गेहूँ असिंचित	12500	12500	25000
3	मक्का	10000	10000	20000	चना सिंचित	17000	17000	34000
4	सोयाबीन	15000	15000	30000	चना असिंचित	12500	12500	25000
5	उड़द	12500	12500	25000	मसूर	10850	10850	21700
6	मूंग	12500	12500	25000	अलसी	10000	10000	20000
7	तुवर (अरहर)	12750	12750	25500	राई / सरसों	10000	10000	20000
8	ज्वार	5500	5500	11000	मटर	17500	17500	35000
					गन्ना	27750	27750	55500

सब्जी का नाम (उन्नत/शंकर)	सब्जी उत्पादन (उन्नत/शंकर सब्जी)		
	नगद 50 प्रतिशत	वस्तु 50 प्रतिशत	योग
उन्नत सब्जी उत्पादन			
बरबटी	5250	5250	10500
लौकी	4375	4375	8750
प्याज	18375	18375	36750
भिण्डी	5250	5250	10500
बैगन	8750	8750	17500
पत्ता गोभी	7625	7625	15250
फूल गोभी	6563	6563	13125
कद्दू	8750	8750	17500
शकरकंद	9875	9875	19750
मिर्च	9875	9875	19750
अदरक	6563	6563	13125
हल्दी	26250	26250	52500
लहसुन	5250	5250	10500
धनिया	8500	8500	17000
टमाटर	26250	26250	52500
आलू	30625	30625	61250
मटर	15750	15750	31500
सेम	2625	2625	5250
मूली	26250	26250	52500
मैथी	18200	18200	36400
फ्रेंच बीन	14000	14000	28000
पालक	13125	13125	26250
गाजर	21875	21875	43750
शंकर सब्जी उत्पादन			
बैगन	17500	17500	35000
भिण्डी	22750	22750	45500
करेला	13125	13125	26250
लौकी	9860	9860	19720
पत्ता गोभी	42000	42000	84000
फूल गोभी	42000	42000	84000
शिमला मिर्च	39375	39375	78750
टमाटर	20000	20000	40000
कद्दू वर्गीय	8750	8750	17500
आलू	15000	15000	30000
मिर्च	39375	39375	78750
मूली	30625	30625	61250

परम्परागत आधार उत्पादन की कुल कीमत (प्रति हेक्टेयर) का 50 प्रतिशत अदायगी क्षमता का 70 प्रतिशत अल्पकालीन फसल एवं 30 प्रतिशत मध्यकालीन फसल को स्वीकृत किया जाता है किन्तु जिले की फसलों को ऋण को कमेटी के सदस्यों की अनुशंसा अनुसार मध्यकालीन फसल ऋण के हिस्से को अल्पकालीन फसल ऋण में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। ऋणमान निर्धारण हेतु बैंक कार्यक्षेत्र अंर्तगत फसलों हेतु उक्त नीति बनाई गई है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी 30/3 लीड बैंक प्रबंधक उप संचालक(कृषि) जिला प्रबंधक(नाबार्ड) उपायुक्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जि.स.के.बैंक.जबलपुर लीड बैंक जबलपुर जबलपुर जबलपुर सहकारिता जबलपुर जबलपुर

D.C.C.B. JABALPUR